ECONOMIC TIMES HINDI, Delhi, 28.7.2017
Page No. 8, Size:(8.06)cms X (31.59)cms.

'आधार फ्रॉड को रोकने के लिए ई-वेरिफिकेशन हो जरूरी'

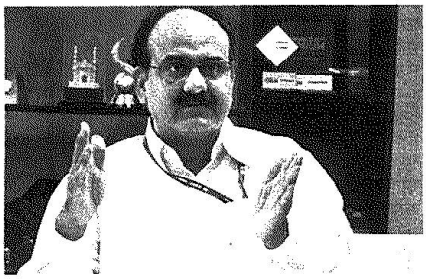

UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे का कहना है कि सरकार ने बैंकों समेत तमाम एजेंसियों को सिर्फ आधार के कागजी दस्तावेज पर भरोसा नहीं करते हुए बायोमीट्रिक या वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल करने को कहा था, क्योंकि पेपर वाला आधार फर्जी भी हो सकता है। उन्होंने ईटी की सुरभि अग्रवाल को बताया कि आधार एक्ट में इसकी जांच करने की बात कही गई है। पेश हैं बातचीत के अंश:

यूआईडी नंबरों के ऑनलाइन पेश किए जाने से लोगों द्वारा फर्जी आधार तैयार करने की आशंका है। आप इससे कैसे निपट रहे हैं?

जब हम एजेंसियों से आईडी को आधार से लिंक करने की बात कह रहे हैं, तो हम यह उम्मीद नहीं कर रहे कि आप कागजी आधार लिंक करें। हम कह रहे हैं कि इसका बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए या आधार ओटीपी की जांच होनी चाहिए। इसका मकसद आधार का सही इस्तेमाल करना है यानी आपको आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना है। ऐसा किए जाने पर डुप्लिकेट, बोगस, फर्जी आधार लिंक किए जाने की आशंका खत्म हो जाएगी।

क्या आपने एजेंसियों को आधार के इस्तेमाल से पहले इसकी बायोमीट्रिक या ओटीपी जांच करने के लिए कोई निर्देश जारी किया है?

हमारे रेगुलेशन में यह बात है। यह आधार के ऑथेंटिक रेगुलेशन 3 और 4 में है, जहां हम आधार का इस्तेमाल इसकी जांच के जरिये करने को कह रहे हैं।

तकरीबन 210 सरकारी वेबसाइट्स ने आधार डेटा को ऑनलाइन सार्वजनिक किया है। यह कितना जोखिमपूर्ण है, क्योंकि कई वेबसाइट्स ने काफी संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक किया है?

कुछ वेबसाइट्स ने सूचना के कानून के डिसक्लोजर नॉर्म्स के पालन के लिए शुरुआती कुछ महीनों में इसे प्रकाशित किया था, क्योंकि उन्हें लाभार्थियों के नाम, पते और बैंक एकाउंट्स के बारे में बताने की जरूरत थी।

हालांकि, बैंक एकाउंट नंबर निजी तौर पर संवेदनशील सूचना है। इसे कैसे सार्वजनिक किया गया?

यह सही नहीं था। वे आधार नंबर पब्लिश कर रहे थे और यह भी ठीक नहीं था। यह इसे हमारे संज्ञान में लाया गया, तो हमने उनसे कहा कि आधार कानून है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने इसे सार्वजनिक करना बंद कर दिया। इसके बाद सवाल उठा कि कुछ लोगों का आधार नंबर और बैंक डिटेल्स सार्वजनिक दायरे में उपलब्ध थे, लिहाजा क्या उनकी सुरक्षा से समझौता हुआ है? इस पर हमारा जवाब ना है। किसी के बैंक एकाउंट के बारे में जानने कोई एकाउंट को हैक नहीं कर सकता। इसके लिए पासवर्ड, पिन नंबर आदि जानना होगा। आधार नंबर के साथ भी ऐसा ही मामला है। आधार भी हमेशा ऑथेंटिकेशन के साथ ही वैलिड होगा।

हालांकि, ज्यादातर एजेंसियां फिलहाल ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं?

इसी वजह से हम सभी एजेंसियों से कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में आप पेपर आधारित आधार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के आपको आधार एक्ट के तहत इसकी जांच करनी होगी।

इस सिलसिले में डेटा सुरक्षा कानून कितना अहम है, जहां इस तरह के संवेदनशील डेटा ऑनलाइन पेश किए जा रहे हैं?

आधार के पास डेटा सुरक्षा का मजबूत सिस्टम है, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य डेटा से जुड़ा तमाम नॉर्म्स शामिल हैं।